विवाह के लिए वैध आयु
(Legal Age of Marriage)

बौधायन के धर्म सूत्र में लिखा है कि : "वह अपनी कन्या को जबतक कि वह 'नग्निका' हो, उस पुरुष को दे देवे जो ब्रह्मचारी तथा सद्गुणों से युक्त हो, और यदि सद्गुणों से युक्त न भी हो तो भी दे दे, वयस्कता प्राप्त करने के बाद वह उस कन्या को अपने घर में नहीं रखे।" 'नाग्निका' का साहित्यिक अर्थ 'नग्न' है। इसका अभिप्राय यह है कि रजोदर्शन के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। मनु संहिता में कहा गया है कि 24 वर्ष का पुरुष आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे। महाभारत में पति तथा पत्नी की आयु तीस और दस बतलाई गई है। यही धार्मिक ग्रंथ ऐसा भी आदेश देते हैं कि "वयस्क होने के बाद कन्या तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे। इस अवधि के बाद वह अपने अनुरूप ही अपना पति स्वयं ढूँढ़ लेवे।"

एक समय था जबकि कौमार्य अथवा स्त्री को पवित्रता आदर-प्रतिष्ठा का लक्षण माना जाता था। फिर इसे श्रेष्ठता के सूचक तथा उच्च जाति के लक्षण के रूप में प्रोत्साहित किया गया। इसी के परिणामस्वरूप वही विवाह वांछनीय समझा जाने लगा जो कन्या के कौमार्य भंग का सन्देह उत्पन्न होने के पूर्व ही हो जाए।

उन्नीसवीं शताब्दी में **राजा राममोहन राय** द्वारा सुधार आन्दोलन आरम्भ हुआ जिससे शिक्षित वर्ग के लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। **ईश्वरचन्द्र विद्यासागर** ने एक प्रतिज्ञा तैयार की जिसमें एक शर्त थी कि पुत्र की आयु 18 वर्ष और कन्या की 11 (ग्यारह) वर्ष की होनी चाहिए। सन् 1846 में कानून आयोग इस बात के लिए तैयार हुआ कि एक निश्चित आयु के पूर्व पति-पत्नी का सम्भोग अपराध माना जाये। 1860 ई० के भारतीय दंड विधान ने दस वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ सम्भोग को बलात्कार माना। इस समय यदि कन्या का विवाह बाल्यावस्था में हो भी जाता था तो उसे पति के घर रजोदर्शन के पश्चात् ही भेजा जाता था। **मालाबारी** ने बाल-विवाह के बुरे प्रभाव तथा वैधव्य की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित कराया।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् 1856 के 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून के अन्तर्गत विधवा का पुनर्विवाह होना सम्भव हो गया, परन्तु कई कारणों से यह प्रथा नहीं चल सकी। इस धारा में यह भी नियम था कि पुनर्विवाह के बाद मृत पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार नहीं रहेगा। कानून के अतिरिक्त भी समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह अच्छा नहीं माना जाता था।

सन् 1894 में मैसूर सरकार ने नौ वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह रोकने का प्रयत्न किया। सन् 1904 का (बड़ौदा) 'बाल-विवाह निरोधक कानून' सबसे और आगे बढ़ा। इसके द्वारा पुनर्विवाह के समय कन्या की आयु 12 वर्ष

Scanned with CamScanner

निर्धारित की गई। सन् 1918 में इन्दौर राज्य ने कानून द्वारा विवाह की न्यूनातिन्यून आयु क्रमशः लड़के के लिए 14 वर्ष तथा कन्या के लिए 12 वर्ष निर्धारित की थी। इस कानून के पीछे इसे लागू करने का बल इतना कठोर नहीं था कि लोग अवैध विवाह करने से रुक जाते। सन् 1924 में इस मामले को केन्द्रीय विधान सभा में सर हरि सिंह गौड़ द्वारा उठाया गया। इसमें कन्या की वैवाहिक आयु 14 वर्ष तक बढ़ा दी गई, पर सरकार ने इस प्रस्ताव को पेश नहीं होने दिया। पुनः सन् 1924 में अस्वीकृत प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बल दिया गया। एक सहवास आयु समिति, जिसे जोशी समिति का नाम दिया गया, इस आयु-सम्बन्धी मामले की ब्योरेवार जाँच करने के लिए नियुक्त हुई। इस कमिटी ने सिफारिश की कि वैवाहिक मामलों में सहवास आयु 15 वर्ष तक कर दी जाए। इसके पूर्व सम्भोग वैवाहिक दुराचरण माना गया। वैवाहिक मामलों में सहवास की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। सन् 1929 में 'बाल विवाह निरोधक कानून' पास हुआ। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से नीची आयु वाला पुरुष तथा चौदह वर्ष से नीची आयु की स्त्री बालक-बालिका मानी गई। सन् 1938 के संशोधित कानून के अनुसार "यदि न्यायालय को उसके सामने प्रस्तुत अभियोग-पत्र के द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से यह संतोष हो जाए कि इस कानून के विरुद्ध बाल-विवाह की व्यवस्था हो गई है तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध निषेधादेश उस विवाह को रोकने के लिए जारी कर देगा।" सन् 1955 का 'हिन्दू विवाह कानून' कन्या की न्यूनातिन्यून विवाह की आयु 15 वर्ष स्वीकार करता है जबकि व्यवहार में विवाह की आयु 16 वर्ष या उससे ऊपर ही रहती है। कुछ लोगों ने वांछनीय न्यूनतम आयु अठारह वर्ष मानने का सुझाव रखा।

हिन्दू परम्परा के अनुसार कन्या का विवाह उसके वयस्क (Puberty) के पूर्व कर देना चाहिए। रजोदर्शन स्त्री में यौन-भावना के आरम्भ का संकेत करता है परन्तु यौन जीवन के लिए परिपक्व, उपयुक्त विकास के लिए कम-से-कम तीन वर्ष आवश्यक होते हैं। वयस्कता की आयु भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न होती है। अतः न्यूनतम आयु 16 वर्ष मानी गई। इस आयु को भी विवाह के लिए आदर्श आयु नहीं माना गया।

विवाह होने पर हिन्दू कन्या पिता के घर से पति के घर चली जाती है। वहाँ के अपरिचित लोगों के सम्पर्क में आकर उसे उनके स्वभाव, शिष्टाचार और रहन-सहन के अनुरूप अपने को बनाना पड़ता है। प्रायः सास-ननद बहू के साथ कलह और विवाद ही ढूँढ़ती रहती है। इस प्रकार कन्या अपने आपको न केवल अपरिचित लोगों के बीच में पाती है बल्कि संघर्षपूर्ण वातावरण में रहना पड़ता है। नए परिवार की नई माँगों के साथ अपने-आपको किस प्रकार अनुकूल बनाए उसके लिए समझना कठिन हो जाता है। कन्या के माता-पिता इस सामंजस्य की समस्या में अपने सामाजिक आदर्शों के प्रति आस्था के कारण मौन ही रहते हैं। इस तनाव-पूर्ण स्थिति से उसे अकेले ही गुजरना पड़ता है। यदि कन्या की आयु कम होती है तो ये मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ बहुत अधिक होती हैं। एक भली प्रकार शिक्षित कन्या, जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है मानसिक दृष्टि से इस परिस्थिति का सामना अधिक योग्यता से करती है। अवसर के अनुकूल अपने विचार दृढ़ता से प्रकट कर सकती है। अतः मानसिक संघर्ष भी इतना तीव्र नहीं होता है। 22 वर्ष का लड़का हो जाने पर उसके विचारों में भी गम्भीरता तथा परिस्थिति को समझने का

Scanned with CamScanner

विवेक आ जाता है। वह केवल परिवार पर आश्रित न रहकर स्वयं भी कुछ सोचने-करने योग्य हो जा सकता है एवं पत्नी को भावनात्मक सहयोग दे सकता है।

स्त्री की शिक्षा केवल विवाह के लिए न होकर आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए तथा बालकों के उचित विकास के लिए भी आवश्यक है। साधारणत: 16 वर्ष की आयु में लड़की मैट्रिक पास करती है, स्नातक शिक्षा के लिए चार वर्ष की और आवश्यक है। स्नातक स्तर तक प्रत्येक लड़की को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अत: विवाह की वांछित आयु 20 वर्ष सर्वश्रेष्ठ मानी जानी चाहिए।

वर्त्तमान समय में विवाह की आयु लड़को की 18 से 20 वर्ष के अन्दर तथा लड़के की 23-24 की सर्वसम्मति से मान्य है।

Scanned with CamScanner